रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240401
CG-DL-E-18112022-240401

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5151] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944
No. 5151] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 5377(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 2801 दिनांक 30 जून 2022 का.आ. 2944(अ) दिनांक 30 जून 2022 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में किया गया हैं। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य की तहसील– बीना, की भूमि में मध्य प्रदेश राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) तक एलपीजी परिवहन के लिए आईएचबी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें ''कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) पाइपलाइन परियोजना'' के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थीं :

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 10 जुलाई 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में अरविन्द खरे, सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित हैं, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आईएचबी लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आईएचबी लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामलें पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्व कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नही हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील – बीना जिला – सागर राज्य – मध्य प्रदेश

गांव का नाम	खसरा नं0/ब्लॉक न0	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आर.	व.मी.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
मुहासा	359	00	00	20
	355	00	01	68
	341/2	00	11	41
	339	00	19	28
	338	00	11	18
	337	00	12	13
	336	00	14	86

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-I/ई-33881]

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2022

S.O. 5377(E).—Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No. 2801 dated 30.06.2022 in part II, Section 3, sub-section (ii) under S. O. No. 2944(E) dated 30.06.2022 Part-II,Section-3,Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Bina, District Sagar in MP State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of LPG from Kandla to Gorakhpur by the IHB Ltd for implementing the Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project.

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 10 July 2022.

And whereas the Arvind Khare Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Ltd., free from all encumbrances.

IHB Ltd shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL : Bina **DISTRICT: Sagar** **STATE: MP**

Name of Village	**Survey No./Block No.**	**Area**		
		Hectare	**Are**	**Sqm.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Mohansa	359	00	00	20
	355	00	01	68
	341/2	00	11	41
	339	00	19	28
	338	00	11	18
	337	00	12	13
	336	00	14	86

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.11.18 16:13:50 +05'30'